

75/24

पत्रावली पेश हुई वकील वार्दा उपस्थित, वही सदर
माण्डल से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर
वकील वादिया ने बहस करनी चाही। वकील वादिया
की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील
वादिया ने वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की
इस्तुह्या की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्राप्त
विभाजन स्कीम पर मनन किया गया। न्यायद्वि



हुयम या कार्यवाही भय इनिशयत्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुयम की तामील
में जारी हुए

मे प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार बादिया
का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिडी बहस
बादिया विक्रेत प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08
मे इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम
भाण्डल पटवार हल्का भाण्डल तहसील भाण्डल
मे स्थित निम्नोक्ति आराजियात विभाजन
अनुसार बादिया एंप प्रतिवादी संख्या 01 लगायत
08 के नाम हक हिस्से अनुसार भूमि की राजस्व
रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते
हैं। उसी अनुसार भूमि बादिया एंप प्रतिवादी गण
1 लगायत 08 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की
जाये।

श्रीमती हेमलता श्री गोपालदास बैरागी थो श्री
मोहनदास वैष्णव निवासी भाण्डल तहसील भाण्डल हाल निवासी
बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़ सा. दे. खातेदार
स्वाता सं. 2249

आराजी नं. रकबा

8656/1 - 0.0948

8658 - 0.1138

किता 02 रकबा 0.2086 हेक्टेयर

स्वाता सं. - 2250

आराजी नं. रकबा

8657 - 0.0537

किता 01 रकबा 0.0537 हेक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
भाण्डल

P.T.O.

विद्वर
गमिध
र
दिया
ल
की

त
यदि

2. बानीनई पुगी मदनदास 1/3, गनीष, राजेश, सतीश पिता
सत्यनारायण 1/3, विष्णुदास पिता मदनदास 1/3 बैरागी
सा. खातेदार

खता सं. 2249

आराजी नं. रकबा

8029 - 0.0126

8628 - 0.4047

8656 - 0.2087

किता 03 रकबा 0.6260 ^{००} हवटेयर

3. श्रीमती सीसी पत्नी लाडुदास 1/6, शंकरलाल पिता लाडुदास
1/6, माण्डेदास पिता रामनाथदास 1/3, बानीनई पुगी मदन
दास 1/9, लालीदेवी पुगी मदनदास 1/9, विष्णुदास पुगी
मदनदास 1/9 बैरागी सा. खातेदार

खता सं. 2250

आराजी नं. रकबा

8657/1 - 0.0222

8659 - 0.1897

8660 - 0.1644

किता 03 रकबा 0.3763 ^{००} हवटेयर

उक्तानुसार ग्रामि वादिया एवं प्रतिवादी सेटिया 08
के नाम हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज
करे। तहसीलदार गाण्डल उक्तानुसार ग्रामि राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा फरिक्तेनु अपना
अपना वहन करे। तदनुसार डिर्की जारी हो।
पगावली केसाल शुमार होकर भन्वर सेकम हो।

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री मनोज (आ००१०१००)

अनवान प्रकरण

श्रीमती हेमलता ०/० श्री गोपालदास वैरागी (वैष्णव) ५० श्री मोहनदास वैष्णव
निवासी - माण्डल तहसील हाव निवासी वैष्णव तहसील वेणु जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
[वादी]

बनाम

श्रीमती आनीबाई उर्फ गीताबाई ०/० श्री मदनदास वैरागी ५० श्री रोशनदास वैरागी
निवासी - माण्डल तहसील हाव निवासी आसोपिया रैड मुस्वीजी चौराव कांठरोली जिला रायपलमन (राज.)
श्री चिष्णुदास ०/० श्री मदनदास वैरागी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
श्री सतीश कुमार ०/० श्री सत्यनारायण वैरागी निवासी - बागौर तहसील - माण्डल
श्री राजेश कुमार ०/० श्री सत्यनारायण वैरागी _____ ॥ _____
श्री मनीष कुमार उर्फ मौनू ०/० श्री सत्यनारायण वैरागी _____ ॥ _____
श्री राघे श्याम ०/० श्री मंगेदास वैरागी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
श्री शंतीलाल ०/० श्री मंगेदास वैरागी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
श्री शंकरलाल ०/० श्री लालुदास वैरागी निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल
राजस्थान राज्य जदिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53-54, 188... मुकदमा नं० / वर्ष 34/21... निर्णय दिनांक 7-5-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री राजेश तिवड़ी 11/10 मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वकील वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया

जाकर डिक्री बहस वादिया विकट प्रतिवादी से 01 लगायत 08 मै रस शाशय

को धारी की जाती है कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील - माण्डल

में स्थित निम्नोक्ति अग्राजियात विवाजन प्रस्ताव अनुसार वादिया ऐव

प्रतिवादीगण सं० 01 लगायत 08 के नाम हक हिस्से अनुसार कृमि की राजस्व

रेफर्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

1. श्रीमती हेमलता ०/० श्री गोपालदास वैरागी ५० श्री मोहनदास वैष्णव निवासी
माण्डल तहसील हाव निवासी - वेणु तहसील वेणु जिला - चित्तौड़गढ़ सा-खातेदार
खाता सं० 2249

आराजी सं० रकबा
8651/1 - 0-0948
8658 - 0-1138

कुल फिता 02 रकबा कुल 0-2086 हैब्टेयर

आज तारीख 07-05-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

P-T-O.

खाता सं. 2250

आराजी नं. रकबा

8657 - 0.0537

किता 01 रकबा 0.0537 हैक्टियर

2. श्रीमती नानी बार्ड D/O मदनदास 1/3, मनीष, राजेश, सतीश S/O सत्यनारायण 1/3,
विष्णुदास S/O मदनदास 1/3 बैरागी सा. खातेदार

खाता सं. 2249

आराजी नं. रकबा

8029 - 0.0126

8628 - 0.4047

8656 - 0.2087

किता 03 रकबा 0.6260 हैक्टियर

3. श्रीमती धीसी D/O लाडुदास 1/6, शेकरलाल S/O लाडुदास 1/6, भास्करदास S/O
रामनाथदास 1/3, नानी बार्ड D/O मदनदास 1/9, लाली देवी D/O मदनदास 1/9,
विष्णुदास S/O मदनदास 1/9 बैरागी सा. खातेदार

खाता सं. 2250

आराजी नं. रकबा

8657/1 - 0.0222

8659 - 0.1897

8660 - 0.1644

किता 03 रकबा 0.3763 हैक्टियर

उक्तानुसार ग्रामि वादिया एंप प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08
के नाम एक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करे। तहसीलदार
भाण्डव उक्तानुसार ग्रामि राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
शर्चा फरिफैन अपना-अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
भाण्डव